संख्या 138/19 सरकार बनाम सुखमिन्द्र सिंह - पुत्र सिंह

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
20-9-19	आज्ञा यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित /अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री सुखमिन्द्र सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति मजबी निवासी 23 PSD ने फसल रबी/खरीफ सम्वत /सन् 2076 में गांव/चक 27 NPD सिंचित /असिचित कुल 1.974 हैक्टेयर आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। अप्रार्थी के विरूध्द राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजुद तामील के उपस्थित/अनुपस्थित उसके विरूध्द कार्यवाही की जाती है। वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिध्द है। अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के ओदश दिये जाते है तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा पेनल्टी राशि रू0 247 अखरे रूपये दो सौ सत्तावीस मात्र अधिरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुध्दा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावें टी.आर.ए को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावें पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसुली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Bishnoi
Date: 2019.11.21 17:52:58 IST
Reason: SelfAttested